दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को शुष्क दिवस घोषित

» देशी मदिरा दुकान एवं भाण्डागार रहेंगे पूर्ण रूप से रहेंगे बंद

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने शासन के निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी 2020) को शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त शुष्क दिवसों पर जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ एवं एफ.एल.-3 होटल बार) दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार पूर्ण रूप से बंद रखी जाए। उक्त दिवसों में मंदिरा विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।

12 वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों के लिए 20 जनवरी को प्लेसमेंट कैम्प

577 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

रायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जनवरी को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन गया है। यह कैम्प रोजगार कार्यालय परिसर, पुराना पुलिस मुख्यालय, रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से सीपीएमएस साल्यूशन एलएलपी. एवं युरेका फोर्ब्स लिमिटेड, रायपुर द्वारा डिस्ट्रिक फील्ड इन्चार्ज, ब्लॉक फिल्ड कॉर्डिनेटर एवं सेल्स ट्रेनीज के 577 से अधिक पदों पर महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण योग्य आवेदक अपना आवेदन प्लेसमेंट कैम्प में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर किया जा सकता है।

क्रांति सेना के सदस्यों के विरूद्ध शिकायत पर हुई कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर दिनांक 16.01.2020 को एवं कोतवाली में तथा दिनांक 17.01.2020 को थाना खरसिया में क्रांति सेना के सदस्यों द्वारा सोशल साईट फेसबुक पर लोकशांति भंग करने के लिये धर्म, जाति एवं क्षेत्रविशेष को लेकर आपत्तिजनक अभ्रद टिप्पणी, गाली गलौच करने सबंधी दिये गये आवेदन पत्र पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । थाना चक्रधरनगर में क्रांति सेना के संयोजक रवि तिवारी निवासी कोष्टापारा, सुनील मिंज निवासी संजयनगर, कमलेश सतनामी रायगढ संजीव दास रायगढ, ईश्वर प्रसाद साहू रायगढ, देव छत्तीसगढिया उर्फ देवेन्द्र देवांगन निवासी कोरबा व अन्य के विरूद्ध अप.क्र. 22/2020 धारा 153(क), 294, 506बी, 147, 148 आईपीसी तथा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में क्रांति सेना रायगढ के सदस्य सुनील मिंज निवासी संजयनगर, रवि तिवारी निवासी कोष्टापारा एवं ईश्वर प्रसाद साहू के विरूद्ध अप.क्र. 46/2020 धारा 153ए,295ए,34 आईपीसी पंजीबद्ध किया गया है । इसी प्रकार थाना खरसिया में छत्तीसगढिया क्रांति सेना के अमित बघेल द्वारा विशेष समुदाय पर अपमान जनक धमकी भरा टिप्पणी कर सामाजिक एकता को विखण्डित करने तथा वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया में वायरल करने संबंधी दिये गये आवेदन पत्र पर अमित बघेल के विरूद्ध अप.क्र. 37/2020 धारा 153-बी, 505, 506 बी भादंवि एवं 67 आई.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरूद्ध दर्ज 215 प्रकरण वापस

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर बस्तर अंचल के अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों और ग्रामीणजनों के उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के तहत बस्तर संभाग के सातों जिलों के अंतर्गत घटित 215 प्रकरणों की वापसी हो चुकी है।

हाई स्कूल ग्राउंड सरिया में वृहद यातायात जागरूकता कार्यक्रम

» यातायात थाने के स्टाफ व स्कूली बच्चों ने दी यातायात नियमों की जानकारी » 5 स्कूलो के करीब 3000 बच्चे व गणमान्य नागरिक हुये शामिल

» महिला सेल द्वारा बरमकेला के 03 स्कूलों में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन परराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व आमजनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिये सभी थानाक्षेत्र में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं । थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अशीष वासनिक द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम स्कूली बच्चों व क्षेत्र की आम जनता के साथ आयोजित करने का विचार कर थाना क्षेत्र के आई.टी.आई., स्कूल एवं कॉलेज के प्राचार्यों से भेंट कर कार्यक्रम के संबंध में चर्चा किया गया, जिसे सहर्ष स्वीकार कर स्कूल के प्राचार्यों द्वारा बच्चों का विभिन्न सांस्कृति कार्यक्रम एवं छोटे-छोटे यातायात नियतों का संदेश देने वाले

नाटक तैयार किये ।

कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) गरिमा द्विवेदी, नगर पंचायत अध्यक्ष सरिया स्वप्निल स्वर्णकार, नवनिर्वाचित पार्षदगण, स्कूल, कॉलेज के प्राचार्य व शिक्षकगण, थाना यातायात रायगढ़ के स्टाफ तथा थाना प्रभारी सरिया व उनका स्टाफ एवं क्षेत्र के गणमान्य महिला-पुरुष उपस्थिति थे ।

कार्यक्रम में थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक एवं थाना यातायात रायगढ़ के ए.एस.आई. माइकल तिर्की तथा प्रधान आरक्षक संजय तिवारी द्वारा यातायात नियमों तथा सावधानियों के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया । स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में यातायात नियमों की अवहेलना से होने वाले नुकसान तथा नियमों का पालन न कर होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को बताया गया तथा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम से अंत तक श्रोतागण कार्यक्रम उपस्थित रहे ।

कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती द्विवेदी एवं महिला सेल प्रभारी निरीक्षक श्रीमती संतोषी ग्रेस द्वारा महिलाओं की रोकथाम एवं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्हें इस प्रकार की घटनाओं का विरोध कर पुलिस से सहायता लेने की समझाईस दी । कार्यक्रम में *डेफोडिल स्कूल, शासकीस कन्या शाला, सरस्वती शिशु मंदिर, हाई स्कूल सरिया, पूर्वांचल कॉलेज तथा आई.टी.आई. सरिया के करीब 3,000 छात्र-छात्राएं एवं नगरवासी शामिल हुए।

जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) श्रीमती गरिमा द्विवेदी के हमराह आज दिनांक 17.01.2020 को पुलिस महिला रक्षा टीम प्रभारी निरीक्षक संतोषी ग्रेस, महिला प्रधान आरक्षक मंजू मिश्रा एवं महिला सेल स्टॉफ बरमकेला थाना क्षेत्र के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरमकेला, सरस्वती शिशु मंदिर बरमकेला, मोना मॉडल स्कूल बरमकेला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये । स्कूलों में डीएसपी गरिमा द्विवेदी द्वारा गुड टच, बैड टच, साइबर क्राइम, यातायात नियमों की जानकारी दी गई । स्कूलों में डीएसपी द्विवेदी द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी देते स्वयं की सुरक्षा करने के उपाय भी बताए । स्वयं डीएसपी द्विवेदी द्वारा महिला कर्मचारियों के साथ सेल्फ डिफेंस का डेमो दिया गया । डीएसपी श्रीमती गरिमा द्विवेदी ने कहा कि अपने बचाव में किए जाने वाले कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जो भी वस्तु आपके द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है अपने बचाव में इस्तेमाल करें यदि कोई स्थिति गंभीर होती है तो दिमाग को संतुलित रखें यदि किसी भी तरह का शोषण या छेड़खानी होती है तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर या डायल 112 पर सूचना दें । छात्राओं को सोशल साईड फेसबुक, व्हाटसअप में सावधानी बरतने के बारे में कहते हुए बोली कि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है ।

बिजली करंट से मछली मारते समय हुई घटना पर मृतक सहित 04 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर के मर्ग क्रमांक 02/2020 धारा 174 जा0फौ0 की जांच पर पाया गया कि मृतक डोलकुमार पटेल पिता स्व.साधू राम पटेल उम्र 45 वर्ष साकिन जबलपुर स्वंय बिजली तार हुकिंग कर करीब 500 मीटर के तार को माण्ड नदी के पानी तक ले गया था और अपने साथी राजेन्द्र पटैल उम्र 35 साल, अशोक टंडन उम्र 50 साल, टीकाराम सूर्यवंशी उम्र 46 साल, राहुल बर्मन उम्र 30 साल के साथ मछली मार रहा था कि अचानक बिजली करंट लगने से बोहोश होकर गिर गया जिससे उसके साथी राजेन्द्र पटैल एवं राहुल बर्मन पानी से किनारे कर पेट को दबाये थे जिससे उल्टी हुआ एवं कुछ समय बाद फौत हो गया जिसकी सूचना राहुल बर्मन द्वारा डायल 112 को दिया गया था । जांच पर मृतक डोलकुमार पटेल अपने साथी राजेन्द्र पटेल, राहुल बर्मन, अशोक टण्डन एवं टीकाराम सूर्यवंशी के साथ स्वंय बिजली चोरी कर बिजली तार को नदी तक ले जाकर लापरवाही पूर्वक बिजली करंट से मछली पकडते समय अचानक बिजली करंट लगने से फौत होना पाये जाने पर दिनांक 16.01.2020 को अप.क्र. 09/2020 धारा 304ए, 34 आईपीसी एवं 135 विद्युत अधिनियम मृतक डोलकुमार पटैल उम्र 45 साल, राजेन्द्र पटैल उम्र 35 साल, अशोक टंडन उम्र 50 साल, टीकाराम सूर्यवंशी उम्र 46 साल, राहुल बर्मन उम्र 30 साल के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है ।

हेलमेट पहन कर बाईक चलाने वालों को पुष्प देकर अभिवादन

» सारंगढ़ पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के सामापन दौरान स्कूली बच्चों के साथ निकाली जागरूकता रैली

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारगंगढ़ पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन दौरान मुख्य मार्गों में हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले चालको को पुष्प भेंट कर अन्य लोगों को भी हेल्मेट की उपयोगिता को समझाने का प्रयास किये ।

पूरे राज्य में जिला पुलिस द्वारा 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जिले में भी दिनांक 11.01.2020 से चलाये जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन आज दिनांक 17.0 1.2020 को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ किया गया । थाना सारंगढ़ स्टाफ द्वारा पूर्व में थाना क्षेत्र के 08 स्कूलों में जाकर करीब 6,000 बच्चों बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी एवं यात्रा दौरान बरतने वाली सावधानियां तथा साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही स्कूलों में यातायात नियम एवं सुरक्षा विषय पर छात्र-छात्राओं के मध्य निबंध लेखन, चित्रकला, स्लोगन प्रतियोगिता भी सारंगढ़ पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था।

आज समापन के अवसर पर सारंगढ़ पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के साथ नगर में रैली निकालकर लोगों को सुरक्षा सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया तथा स्कूलों में आयोजित निबंध लेखन, चित्रकला एवं स्लोगन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया।

साथ ही शहर में हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर उनका अभिवादन किया गया । इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, स्कूल कॉलेज के शिक्षकगण, छात्र एवं प्राचार्य एवं पत्रकार बंधु आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।

परिवाद पर से थाना कोतवाली में छेड़खानी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। महिला परिवादी की ओर से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायगढ के न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद पर से दिनांक 17.01.2020 को थाना सिटी कोतवाली में अंकित गुप्ता पिता स्व0 मोहनलाल गुप्ता उम्र-लगभग 25 वर्ष, निवासी- बैक कालोनी बोईरदादर एवं 03 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अप.क्र. 48/2020 धारा 294,452, 506,509,354 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

परिवाद अनुसार अंकित गुप्ता से महिला के पति द्वारा 06 लाख रूपये उधार लिया था जिसमें लगभग 03 लाख रूपये वापस कर दिया और शेष रकम अदायगी के लिये समय मांगा था । दिनांक 21/07/2018 को महिला सुबह घर पर अकेली थी, अंकित अपने 02-03 साथियों के साथ घर अंदर घुस गया और गाली गलौच कर छेडखानी किये और शाम तक रूपये लौटाने की धमकी दिये थे । परिवाद पर से उपरोक्त व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा 22 जनवरी तक करना होगा जमा

» लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों पर नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 अंतर्गत निर्वाचन में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा 22 जनवरी 2020 तक जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त अभ्यर्थियों को दूरभाष के माध्यम से भी बार-बार अवगत कराया जा रहा है। नामांकन के समय प्रदत्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर के भाग-एक क्रमांक-3 में प्रदर्शित निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 अनुसार निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है। लेखा दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ख या छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अधीन निरर्हित किए जाने का प्रावधान है। समस्त अभ्यर्थी अपना निर्वाचन व्यय लेखा अनिवार्य रूप से संबंधित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक के पास जमा कराना सुनिश्चित करें। लेखा जमा नहीं किए जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

सारंगढ़ और घरघोड़ा के मतदान दलों को दिया गया प्रशिक्षण

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिये आज सारंगढ़ और घरघोड़ा विकासखण्ड में मतदान दलों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान अधिकारियों को मतदान केन्द्रों की तैयारी उनके कार्य, विभिन्न प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया । प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एक, मतदान अधिकारी दो, मतदान अधिकारी तीन, मतदान अधिकारी चार के कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में एक-एक करके जानकारी दी गई। अधिकारियों को बताया गया कि पंचायत निवार्चन में मतदाताओं को चार प्रकार के मतपत्र दिया

जाएगा। इनमें सरपंच, पंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिये अलग अलग रंगों के मतपत्र होंगे। मतदान दल मतदान सामाग्री के साथ मतदान के एक दिन पूर्व रवाना होंगे और अपने संबंधित मतदान केन्द्र पहुंचकर तैयारी करेंगे। प्रशिक्षण में मतपेटी सिलिंग और मतदान की समाप्ति के पश्चात। संबंधित मतदान केन्द्रों में मतपत्रों की मतगणना के बारे में जानकारी दी गई।

हाथकरघा वस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी अलग पहचान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के हाथकरघा वस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनी है। नई सरकार के गठन के बाद प्रदेश के हाथकरघा वस्त्रों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय बनाने तथा बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सितंबर 2019 को रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से राज्य के हाथकरघा वस्त्रों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप हाथकरघा वस्त्रों के लिए टाइटन 'तनेइरा', बैंगलोर, पैरामून इंडस्ट्रीज मुंबई, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास बोर्ड भोपाल, एकगांव टेक्नालॉजी गांधीनगर, फेडरेशन ऑफ नेपाल कॉटेज एवं स्माल इंडस्ट्रीज काठमांडू से एम.ओ.यू. किया गया है।

ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य

हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को गणवेश आपूर्ति के माध्यम से हाथकरघा बुनकरों को बुनाई के साथ-साथ गणवेश वस्त्र सिलाई से 725 महिला एवं स्व-सहायता समूह की लगभग 8 हजार 700 महिलाओं को रोजगार दिलाया है। इस कार्य के पारिश्रमिक के रूप में 30 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। राज्य के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्र 170 करोड़ 97 लाख रुपए के वस्त्रों की विभिन्न शासकीय विभागों में आपूर्ति की गई है। हाथकरघा के 560 हितग्राहियों को नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु एक करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई और 640 बुनकरों के कौशल प्रशिक्षण हेतु एक करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता दी गई है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हाथकरघा बुनकरों को उत्पादन एवं विपणन सुविधा प्रदान कर नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष संघ छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर गठित है। राज्य के हाथकरघा बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना लागू की गई है। शासकीय वस्त्र प्रदाय में प्रमुख आपूर्ति स्कूली छात्रों को गणवेश, वर्दी क्लॉथ, बेडशीट, कंबल, मच्छरदानी, दरी, पॉलिस्टर साड़ी, पर्दा क्लॉथ आदि है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480